

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
संख्या 07/2025-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि निगमित निकाय नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, "कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) को सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार

अधिसूचना संख्या 9/2024-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 623(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।